उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शनिवार, 15 फाल्गुन, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 06 मार्च, 2021)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन के निदेश।
2. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन "जिला चिकित्सालय परिणामों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 2021) को सदन के पटल पर रखेंगे।
3. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (प्रतिवेदन संख्या-2 वर्ष 2020 को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन को (ए0टी0आर0 सहित) सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के छापूरशेर अफगानपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में", श्री सुमित पुत्र श्री रोहतास ग्राम छापूर पो0-खुब्बनपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में आन्तरिक गलियों में सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में", मौ0 इस्तकार पुत्र श्री फारूख ग्राम व पो0- सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम खेडली में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी के सम्बन्ध में", श्री बाबर पुत्र श्री इलियास, ग्राम खेडली, पो0-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा, "जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत सत्तोवाली घाटी न्यू पटेल नगर देहरादून में सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में", श्री उदय सिंह पंवार निवासी सत्तोवाली घाटी, न्यू पटेल नगर, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

Scanned with CamScanner

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"क")

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. वित्तीय वर्ष, 2021-2022 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 810498 हजार (रूपये इक्यासी करोड़ चार लाख अट्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3216311 हजार (रूपये तीन सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2907284 हजार (रूपये दो सौ नब्बे करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(4) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1528752 हजार (रूपये एक सौ बावन करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

Scanned with CamScanner

(5) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 22389266 हजार (रूपये दो हजार दो सौ अड़तीस करोड़ बयानवे लाख छियासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(6) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 99838577 हजार (रूपये नौ हजार नौ सौ तिरासी करोड़ पिचासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(7) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 350715 हजार (रूपये पैंतीस करोड सात लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 151946 हजार (रूपये पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख छियालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23040073 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ चार करोड़ तिहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(10) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगें कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 94507716 हजार (रूपये नौ हजार चार सौ पचास करोड़ सतहत्तर लाख सोलह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

Scanned with CamScanner

(11) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 31889547 हजार (रूपये तीन हजार एक सौ अठ्ठासी करोड़ पिचानवे लाख सैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(12) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 26500529 हजार (रूपये दो हजार छ : सौ पचास करोड़ पांच लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(13) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2772493 हजार (रूपये दो सौ सतहत्तर करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(14) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 19884298 हजार (रूपये एक हजार नौ सौ अठ्ठासी करोड़ बयालीस लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(15) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4869308 हजार (रूपये चार सौ छियासी करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

Scanned with CamScanner

(16) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 11286976 हजार (रूपये एक हजार एक सौ अट्ठाईस करोड़ उनहत्तर लाख छिहतर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(17) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 1922971 हजार (रूपये एक सौ बयानवे करोड़ उनतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(18) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23136286 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ तेरह करोड़ बासठ लाख छियासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(19) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 12880839 हजार (रूपये एक हजार दो सौ अठ्ठासी करोड़ आठ लाख उनतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(20) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2922534 हजार (रूपये दो सौ बानवे करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(21) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 23593671 हजार (रूपये दो हजार तीन सौ उनसठ करोड़ छत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

Scanned with CamScanner

(22) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3532536 हजार (रूपये तीन सौ तिरपन करोड़ पच्चीस लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(23) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4905184 हजार (रूपये चार सौ नब्बे करोड़ इक्यावन लाख चौरासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(24) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 6814936 हजार (रूपये छः सौ इक्यासी करोड़ उनचास लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(25) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 2359652 हजार (रूपये दो सौ पैंतीस करोड़ छियानवे लाख बावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(26) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 12065898 हजार (रूपये एक हजार दो सौ छः करोड़ अट्ठावन लाख अठानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(27) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 4145580 हजार (रूपये चार सौ चौदह करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

Scanned with CamScanner

(28) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 3877282 हजार (रूपये तीन सौ सत्तासी करोड बहत्तर लाख बयासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(29) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 18770180 हजार (रूपये एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ एक लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(30) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, **रूपये 5433011 हजार (रूपये पांच सौ तैंतालीस करोड़ तीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

16. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

17. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

19. वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

20. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार किया जाय।

21. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021" को पारित किया जाय।

22. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार किया जाय।

23. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "(उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021" को पारित किया जाय।

24. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" पर विचार किया जाय।

Scanned with CamScanner

25. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" को पारित किया जाय।

26. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" पर विचार किया जाय।

27. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021" को पारित किया जाय।

28. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" पर विचार किया जाय।

29. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021" को पारित किया जाय।

30. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

31. जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मन्दिर के वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर संस्कृति मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

32. जनपद नैनीताल के रामनगर के अन्तर्गत वर्ग 3 की भूमि पर दर्ज पट्टेदारों/काबिज कास्तकारों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में श्री दीवान सिंह बिष्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

33. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चाः-

"सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"

आज्ञा से,

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

भराड़ीसैंण :
दिनांक : 05 मार्च, 2021

Scanned with CamScanner

नत्थी 'क'

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 मार्च, 2021 की बैठक में दिनांक 06 मार्च, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिनांक 06 मार्च, 2021

1. विधायी कार्य-1

अनुदान संख्या-	05	निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	08	आबकारी, विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	18	सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	20	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान
	26	पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	27	वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	13	जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	24	परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	16	श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	01	विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।
	02	माननीय राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
	03	मंत्रिपरिषद के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
	04	न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -----

Scanned with CamScanner

09	लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	**विवाद नहीं होगा।**
10	पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-----
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
14	सूचना विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-----
15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
19	ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
21	उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	-----
22	लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
23	उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
25	खाद्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	

2. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।
3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं **पारण। (10 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं **पारण। (10 मिनट)**
5. देव भूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं **पारण। (10 मिनट)**
6. सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार एवं **पारण। (10 मिनट)**
7. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं **पारण (10 मिनट)**

<u>विगत सत्र का संकल्पः-</u>

- श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चाः-

"सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)"

Scanned with CamScanner

नत्थी-"ख"

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः-05, 07, 08, 18, 20, 26, 29, 11, 27, 13, 17, 24, 30, 31, 28
16, 29, 11, 27, 06, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. डा0 इन्दिरा हृदयेश, 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. काजी मौ0 निजामुद्दीन, 5. श्री करन सिंह माहरा, 6. श्रीमती ममता राकेश, 7. श्री आदेश सिंह चौहान,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

Scanned with CamScanner